

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री सुभाष चंद पुत्र अमीर चंद, निवासी महाल ननवार, डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री सुभाष चंद पुत्र अमीर चंद, निवासी महाल ननवार, डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-01-1967 को महाल ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय स्थानीय ग्राम पंचायत चढ़ियार में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
12-12-2024

रानी देवी पुत्री बिहारी लाल, गांव व डा0 त्रिलोकपुर हाल पत्नी सुरेश कुमार, निवासी गांव बसन्तपुर, डा0 व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया रानी देवी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 02-06-1964 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के

हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 02-06-1964 दर्शाई है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-06-1964 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 11-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
12-12-2024

निशा देवी पुत्री टिटू राम, गांव व डा0 सोलदा, तहसील ज्वाली हाल पत्नी सुभाष, गांव व डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया निशा देवी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 12-05-1967 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 12-05-1967 दर्शाई है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 12-05-1967 ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 :
49/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
12-12-2024

अनु रानी पुत्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव पद्धर, डा0 डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थिया अनु रानी ने इस अदालत में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 22-12-1984 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पद्धर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 22-12-1984 दर्शाई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 22-12-1984 ग्राम पंचायत पद्धर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12-12-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 08/NT/P/2024

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 21-12-2024

शीर्षक:-

कुलदीप चन्द आदि

बनाम

प्रवीन कुमार आदि।

Proclamation/Munadi u/s 23

मुकद्दमा—तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 27, खसरा कित्ता 17, रकबा तादादी 0-23-86 है0 स्थित महाल फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2017-18.

इस अदालत में कुलदीप चन्द पुत्र धनी राम आदि (वादीगण) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. प्रवीन कुमार पुत्र वीरबल, 2. सतपाल पुत्र वीरवल, 3. केहर सिंह पुत्र नारो, 4. स्वरूप पुत्र नारो सभी निवासी महाल फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सभी प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव प्रतीत न होता है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 21-12-2024 को प्रातः 10.30 बजे अदालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हो अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 70/तह/2024

तारीख पेशी : 23-12-2024

माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 06-04-1969 को गांव झंमूह, ग्राम पंचायत वड, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वड को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को माया देवी पुत्री श्री भुटू राम, निवासी गांव वरालू, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-04-1969 के

पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-12-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वड़ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 13-11-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / 24 / TEH	06-11-2024	20-12-2024

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी गांव रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मेहरना, पटवार वृत्त भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम प्रभदयाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का नाम प्रेम सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम प्रभदयाल की बजाए प्रेम सिंह दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35 / 24 / TEH	06-11-2024	20-12-2024

प्रार्थिया कामनी देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी गांव रजोल, तहसील शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मेहरना, पटवार वृत्त भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पड़दादा का नाम भादर दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पड़दादा का नाम नारद दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम भादर की बजाए नारद दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
37/24/TEH	06-11-2024	20-12-2024

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री सावन मल हाल निवासी पत्नी श्री तरसेम लाल, वार्ड नं0 3, गांव व
डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम आधार कार्ड में श्रीमती सुमना कुमारी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि सही नाम श्रीमती सत्या देवी है। कानूनगो हल्का द्वारा भी प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। अतः रिपोर्ट कानूनगो हल्का, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 15 / 2024 / TEH	तकसीम	तारीख पेशी 20-12-2024
देश राज	बनाम	मेहर सिंह आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बावत भूमि खाता नं0 664, खतौनी नं0 747, खसरा कित्ता 2, रकबा 0-00-49 है0 व खाता नं0 664, खतौनी नं0 748, कित्ता 11, रकबा 0-17-30 है0 स्थित महाल उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थी मेहर सिंह पुत्र वेली राम व श्रीमती पूर्णी देवी पुत्री वेली राम, समस्त निवासी महाल वार्ड नं0 3, उप-महाल पुराना कांगड़ा, पटवार वृत्त कांगड़ा शहर, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तिलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-12-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 21 / 24	तारीख दायरा 06-11-2024	तारीख पेशी 20-12-2024
---------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बावत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि
उसकी बेटी नाम ममता देवी का जन्म दिनांक 21-10-1987 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम
पंचायत जमानवाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए
जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे
किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20-12-2024 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष
हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
38 / 24 / TEH	06-11-2024	20-12-2024

प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र उत्तम चन्द पुत्र दूलो, निवासी महाल व मौजा जमानावाद, तहसील व जिला
कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा
आग्रह किया गया है कि महाल जमानावाद, पटवार वृत्त जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के
राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार पुत्र उत्तम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात
में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार सैणी पुत्र उत्तम चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम
राजीव कुमार की बजाए राजीव कुमार सैणी दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०
34 / 24 / TEH

तारीख दायरा
06-11-2024

तारीख पेशी
20-12-2024

प्रार्थिया श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री मुन्शी राम पुत्र मंगतू, निवासी महाल वल्ला मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल वल्ला, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुदेश कुमारी पुत्री मुन्शी राम दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम पवन कौर पुत्री मुन्शी राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सुदेश कुमारी की बजाए श्रीमती सुदेश कुमारी उपनाम श्रीमती पवन कौर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-12-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

